रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2005/श्रावण 5, 1927
No. 332] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2005/SRAVANA 5, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 509(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत खाता नियम, 1981 में,—

(i) नियम 5 में, उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8). इस नियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यक्तिगत खाते से भिन्न किसी खाते में कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) किसी व्यक्तिगत खाते से भिन्न किसी खाते में परादेय अतिशेषों का 31 दिसम्बर, 2005 से अपश्चात् किसी तारीख को जमाकर्ता को प्रतिदाय कर दिया जाएगा।"।

(ii) नियम 6 में, उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(10). इस नियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यक्तिगत खाते से भिन्न किसी खाते में जमा राशियां 31 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् ब्याज उपार्जित नहीं करेंगी।

(ख) रकम के निकाले जाने या प्रतिदाय के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2005 को या उससे पूर्व बंद किए गए किसी व्यक्तिगत खाते से भिन्न किसी खाते पर ब्याज उस मास के लिए भी अनुपातत: आधार पर अनुज्ञात होगा जिसमें खाता बंद किया जाता है।"।

[फा. सं. 2/8/2005-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सं. सा.का.नि. 663(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

सं. सा.का.नि. 8(अ), तारीख 2 जनवरी, 1987, सा.का.नि. 948(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1987, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1989, सा.का.नि. 695(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 813(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1989, सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 8 जुलाई, 1993, सा.का.नि. 165(अ), तारीख 28 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 14 जून, 2002 और सा.का.नि. 587(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003 और सा.का.नि. 286(अ), तरीख 13 मई, 2005

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2005

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Second Amendment) Rules, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Account Rules, 1981,—

   (i) in rule 5, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

   "(8). Notwithstanding anything contained in this rule,—

   (a) no deposit shall be accepted in an account other than an individual account.

   (b) the outstanding balances in an account other than an individual account, shall be refunded to the depositor on a date not later than 31st December, 2005.".

   (ii) in rule 6, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

   "(10). Notwithstanding anything contained in this rule,—

   (a) deposits in an account other than an individual account, shall not earn interest after 31st December, 2005.

   (b) the interest on an account other than an individual account closed on or before 31st December, 2005 through withdrawal or refund, shall also be allowed for the month in which the account is closed, on pro rata basis.".

[F. No. 2/8/2005-NS. II]

P. C. SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended *vide* G.S.R. 8(E), dated the 2nd January, 1987, G.S.R. 948(E), dated the 2nd December, 1987, G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 1989, G.S.R. 430(E), dated the 6th April, 1989, G.S.R. 695(E), dated the 17th July, 1989, G.S.R. 813(E), dated the 4th September, 1989, G.S.R. 1001(E), dated the 8th November, 1989, G.S.R. 499(E), dated the 8th July, 1993, G.S.R. 165(E), dated the 28th February, 2000, G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 431(E), dated 14th June, 2002 and, G.S.R. 587(E), dated 25th July, 2003 and G.S.R. 286(E), dated 13th May, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.